

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/101Pt.III Zone Jodhpur/2024/

दिनांक:-

—: संशोधन:—

निदेशालय के पत्र क्रमांक 11 दिनांक 05.01.2024 के बिन्दु संख्या 01 में निदेशालय के पत्रांक 468 दिनांक 31.12.2023 के स्थान पर दिनांक 30.12.2023 पढा जावें।

पत्र का शेष भाग यथावत रहेगा।



(सुरेश नवल)

निदेशक(अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,


राज0 जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/101Pt.III Zone Jodhpur/2024/12

दिनांक:-06/1/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान
7. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक(अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0 जयपुर।